के लिए आयु-सीमा न बढ़ाने का निर्णय किया है ।

भर्ती और चयन की प्रक्रिया पर विचार करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग द्वारा गठित समिति

731. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा भर्ती की वर्तमान प्रक्रिया पर विचार करने और चयन प्रक्रिया में सुधार लाने के लिए गठित की गयी समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ;

(ख) क्या समिति ने सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्रस्तुत कर दिए जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम विवरण में दिए गए हैं (नीचे देखिये) ।

(ख) और (ग) प्रारम्भ में समिति को अपने गठन के 6 मास के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी । तथापि, संघ लोक सेवा आयोग ने इसके कार्यकाल को 6 मास की अवधि के लिए अर्थात 11 सितम्बर, 1989 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

विवरण

विशेषज्ञ समिति के सदस्यों के नाम निम्नानुसार हैं :—

1.	श्री सतीश चन्द्र, भूतपूर्व अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग	अध्यक्ष
2.	श्री टी०आर० सतीश चन्द्रन, आई०ए०एस० (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व मुख्य सचिव, कर्नाटक सरकार ।	सदस्य
3.	श्री एस०एन०माथुर, आई० पी०एस०, (सेवानिवृत्त), भूतपूर्व निदेशक, आसूचना ब्यूरो ।	सदस्य
4.	डा० के० वैंकट रमैया, भूतपूर्व-सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग ।	सदस्य
5.	डा० एफ० मेनजिज, निदेशक, टाटा प्रबन्ध प्रशिक्षण संस्थान, पुणे ।	सदस्य
6.	श्री सी०एस० स्वामीनाथन आई०ए० एण्ड ए०एस० (सेवानिवृत्त) भूतपूर्व- सचिव, भारत सरकार ।	सदस्य
7.	कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग का प्रतिनिधि (श्री डी०पी० बागची, संयुक्त सचिव) ।	सदस्य
8.	अपर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग (श्री पी०सी०होटा) :	सदस्य सचिव

विद्युत् चिकित्सा प्रणाली को मान्यता देने के संबंध में समिति

732. **श्री सत्य प्रकाश मालवीय** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत् चिकित्सा प्रणाली को मान्यता प्रदान करने के लिए गठित समिति का कार्यकाल कितना है ;

(ख) विद्युत् चिकित्सा प्रणाली को मान्यता प्रदान करने के लिए गठित समिति ने कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है ;

(ग) प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ; और